



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227763
CG-DL-E-22062021-227763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2272]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943

No. 2272]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASADHA 1, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2021

का.आ. 2450 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2810(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—
उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक (iv) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियाँ के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“ (v) डॉ दिलीप कुमार पांडा, तकनीकी अधिकारी; और

(vi) श्रीमती सुपर्णा मैत्रा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी।”।

[फा.सं. एक्स.11014/5/2021-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 2810(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2021

S.O. 2450 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2810(E), dated 30th November, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely:—

In the said notification, after item number (iv) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

- “(v) Dr. Dilip Kumar Panda, Technical Officer; and
- (vi) Smt. Suparna Maitra, Junior Scientific Officer.”.

[F.No. X.11014/5/2021-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2810(E), dated the 30th November, 2012.